मनमानी एक माह पहले खोदा गया गड्ढा आज भी जस का तस, नाली बंद कर सड़क पर बहाया जा रहा गंदा पानी

सीवर लाइन ठेका कंपनी की मनमानी चरम पर

नवभारत, शहडोल । शहर की सड़कों पर बहता गंदा पानी केवल बदइंतजामी का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता का जीवंत उदाहरण है।

शहर में सीवर लाइन निर्माण कार्य कर रही ठेका कंपनी की लापरवाही अब आमजन के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है। स्टेडियम के पास तिराहे पर स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास के सामने बीच सड़क पर लगभग एक माह पूर्व सीवर लाइन के नाम पर गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसे आज तक न तो भरा गया और न ही व्यवस्थित किया गया। इसी प्रकार कोतवाली के सामने भी सीवर लाईन ठेका कंपनी द्वारा सड़क पर पानी बहाया जा रहा जिससे गंदगी और मच्छर पनप रहे हैं।

होली और रमजान के बीच लोगों की सेहत से खिलवाड़

स्थिति तब और बदतर हो गई जब ठेका कंपनी ने गड्ढे में पानी भरने से रोकने के लिए पास की नाली को ही बंद कर दिया। नाली बंद होने के कारण दूषित, बदबूदार और गंदा पानी सीधे सड़क पर बहने लगा है। स्टेडियम रोड से पाण्डव नगर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पिछले कई दिनों से गंदे पानी की धारा बह रही है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर होली का पावन पर्व और दूसरी ओर रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे समय में भी सड़क पर बहता गंदा पानी प्रशासन और ठेका कंपनी की संवेदनहीनता को उजागर कर रहा है। त्योहारों के दौरान जहां साफ-सफाई और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, वहीं यहां हालात बद से बदतर हैं।

तत्काल कार्रवाई की मांग

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले गड्ढे को तत्काल भरा जाए।बंद नाली को खोला जाए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए।जिम्मेदार ठेका कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।यदि शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थानीय लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शहर की सड़कों पर बहता गंदा पानी केवल बदइंतजामी का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता का जीवंत उदाहरण है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और आम जनता को इस नारकीय स्थिति से कब राहत मिलती है।

छात्रावास के विद्यार्थियों पर खतरा

प्री मैट्रिक छात्रावास के सामने खुले गड्ढे और बहते गंदे पानी से छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। बदबू के कारण वातावरण दूषित हो चुका है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।खुला गड्ढा और कीचड़युक्त सड़क दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रही है। रात के समय यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कई वाहन चालक फिसलकर गिर चुके हैं, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को कीचड़ और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो ठेका कंपनी ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। सवाल यह है कि आखिर जनता की सुविधा और सुरक्षा के प्रति इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है?

इनका कहना है

करीब एक महीने से गड्ढा खुला पड़ा है। ठेका कंपनी ने काम शुरू किया लेकिन उसे पूरा करने की कोई जल्दी नहीं दिख रही। नाली बंद कर दी गई है, जिससे सारा गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। बदबू के कारण घरों में बैठना मुश्किल हो गया है।

राजेश गुप्ता
व्यवसायी, स्टेडियम के पीछे

होली और रमजान जैसे पवित्र समय में भी प्रशासन को सफाई की चिंता नहीं है। रोज़ा रखने वालों और त्योहार की तैयारी कर रहे परिवारों को इस गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

शबाना परवीन
गृहिणी, पाण्डव नगर

ठेका कंपनी की लापरवाही है जिसके कारण सड़क पर गंदा पानी बह रहा है लोगों को काफी परेशानी हो रही है, ठेका कंपनी के लोगों से बात कर इसे बंद करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

प्रभात पाण्डेय
पूर्व पार्षद, वार्ड नं.8

छात्रावास के सामने गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। पढ़ाई के माहौल पर भी असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत इस समस्या का समाधान करे।

छात्रावासी छात्र

आरकेटीसी कंपनी ने 8 ठेका श्रमिकों को किया बाहर

श्रमिक शोषण पर फूटा आक्रोश, श्रमिक संगठन ने पुलिस कप्तान को सौंपा पत्र

नवभारत, धनपुरी शहडोल। जिले के सोहागपुर क्षेत्र में आर.के.टी.सी. कंपनी पर श्रमिकों के खुलेआम शोषण के गंभीर आरोप लगते ही श्रमिक जगत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। कोयला मजदूर सभा (एच.एम.एस.) ने पुलिस अधीक्षक शहडोल को प्रेषित अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि 19 फरवरी 2026 को अमलाई ओसीएम में 8 ठेका श्रमिकों को बिना ठोस कारण और बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए अचानक सेवा से बाहर कर दिया गया।

संगठन का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। जब मजदूरों ने अपने हक की बात की, तो उन्हें नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। कोयला मजदूर सभा ने बताया कि प्रबंधन को पहले भी 7 दिन का समय देकर समस्या के समाधान की मांग की गई थी, फिर 28 फरवरी 2026 को स्मरण पत्र भेजा गया, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने चुप्पी साधे रखी। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है—क्या श्रम कानून केवल कागजों तक सीमित हैं। इन 8 श्रमिकों के परिवार आज रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और जीवन-निर्वाह पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। संगठन ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और तत्काल पुनर्नियोजन की मांग की है। साथ ही स्थानीय बेरोजगारों और पूर्व कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात भी दोहराई है। कोयला मजदूर सभा ने दो टूक चेतावनी दी है—यदि अन्याय पर तत्काल रोक नहीं लगी, तो सड़क से लेकर कार्यालय तक संघर्ष होगा। अब प्रशासन की परीक्षा है कि वह श्रमिकों के साथ खड़ा होता है या कंपनी की मनमानी को मौन स्वीकृति देता है।

शहडोल गोहपारू पुलिस ने 5 साल से फरार वारंटी को किया गिरफ्तार

गोहपारू । 2 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल के प्रकरण क्रमांक आरसीटी नंबर 1549/2021, अपराध क्रमांक 464/2021 धारा 379, 414 भादवि एवं 3/118, 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के आरोपी बब्बू मौर्य पिता लाले मौर्य उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम लोढी थाना गोहपारू जिला शहडोल को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध पूर्व से प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन था। न्यायालय से जारी स्थाई वारंट के पालन में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सराहनी भूमिका उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी गोहपारू के नेतृत्व में आरक्षक 360 मोनू शर्मा आरक्षक मंगल सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

75 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

13 वर्ष 8 माह की नाबालिग से किया था दुष्कर्म

नवभारत, शहडोल। 13 वर्ष 8 माह की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले 75 वर्षीय आरोपी को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायालय जयसिंहनगर (विशेष न्यायालय पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश शिव लाल केवट द्वारा सुनाया गया। न्यायालय ने थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक से संबंधित सत्र प्रकरण में आरोपी ददन उर्फ ददन राम तिवारी (उम्र 75 वर्ष), निवासी मोहनी, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार वर्मा ने प्रभावी पैरवी की।

यह है घटना

अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय के अनुसार, घटना दिनांक 5 मई 2023 की है। पीड़िता अपनी बुआ के साथ गांव के छोटे बगीचे में आम तोड़ने गई थी। कुछ समय बाद बुआ बड़े बगीचे की ओर चली गई और पीड़िता अकेली रह गई।घर लौटते समय जब वह आरोपी के घर के पास पहुँची तो आरोपी ने उसे मिठाई देने का लालच देकर अपने घर बुलाया। घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और विरोध करने पर फरसा (धारदार हथियार) से जान से मारने की धमकी दी।आरोपी ने मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।इसी दौरान पीड़िता का भाई दरवाजा खटखटाने लगा, जिससे आरोपी ने उसे छोड़ा। जाते समय आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर पहुँचकर पीड़िता ने पूरी घटना अपने भाई और मां को बताई।6 मई 2023 को पीड़िता ने थाना जयसिंहनगर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया।डॉक्टर ने आरोपी को अपराध करने में सक्षम पाया।डीएनए रिपोर्ट से अपराध की पुष्टि हुई।लगभग 45 दिनों के भीतर 20 जून 2023 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में गवाही 24 जुलाई 2023 से प्रारंभ हुई।अंततः 28 फरवरी 2026 को निर्णय सुनाया गया।न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों के कथनों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

NAME CHANGE

I, Vikas Pal, son of Vinda Pal, resident of Ward No. 11, Dwivedi Mohalla, Lalpur, Shahdol, Madhya Pradesh 484001.In my 10th and 12th mark sheets, it is written as Vikas Kumar Pal, and in my Aadhaar card and PAN card, it is Vikas Pal. People know me by the name Vikas Pal. I need to in passport with the name Vikas Pal on the Aadhaar card, passport, etc., which is necessary.
Summary: The writer requests correction or recognition of their name as "Vikas Pal" (without "Kumar") in official documents like Aadhaar and PAN cards to match their mark sheets and common usage.